

राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार" कैम्प 2016 ग्राम पंचायत समेलिया

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर भीम
(मूलसिंह राजावत पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान :- ग्राम पंचायत समेलिया

प्रकरण सं. - 170/2008 रेवा

निर्णय दिनांक -31.05.2016

अनवान

- 1 पन्ना सिंह पुत्र श्री डाउ सिंह रावत उम्र 67 वर्ष निवासी चान्दातो का बाड़िया तीतरी तहसील भीम, जिला राजसमन्द ।
- 2 कान सिंह पुत्र श्री डाउ सिंह रावत उम्र 52 वर्ष निवासी चान्दातो का बाड़िया तीतरी तहसील भीम, जिला राजसमन्द ।
- 3 भंवर सिंह पुत्र श्री डाउ सिंह रावत उम्र 48 वर्ष निवासी चान्दातो का बाड़िया तीतरी तहसील भीम, जिला राजसमन्द ।
- 4 विरम सिंह पुत्र श्री लाल सिंह रावत उम्र 50 वर्ष निवासी चान्दातो का बाड़िया तीतरी तहसील भीम, जिला राजसमन्द ।

-वादीगण

बनाम

- 1 कन्ना सिंह पिता श्री दर्ग सिंह निवासी चान्दातो का बाड़िया तीतरी तहसील भीम ।
- 2 नेत सिंह _____
- 3 खंगार सिंह _____
- 4 डाउ सिंह _____
- 5 बाबु सिंह पिता श्री नारायण सिंह बालिग निवासी चान्दातों का बाड़िया तीतरी तहसील भीम ।
- 6 नाथू सिंह पिता श्री नारायण सिंह नाबालिग निवासी चान्दातों का बाड़िया तीतरी तहसील भीम ।
- 7 दिनेश सिंह _____
- 8 विक्रम सिंह _____
- 9 छगन सिंह _____
नाबालिग क्रम सं० 6,7,8,9 जरिये सरपरस्त भाई श्री बाबू सिंह पिता श्री नारायण सिंह रावत निवासी तीतरी ।
- 10 अजी देवी पत्नि श्री अमर सिंह निवासी कर्मा का बाड़िया ओजाणा तहसील बदनोर जिला भीलवाडा ।
- 11 सोहनी देवी पत्नि श्री हजारी सिंह निवासी भीमर तहसील बदनोर जिला भीलवाडा ।
- 12 देवी पत्नि श्री बालू सिंह निवासी भीमर तहसील बदनोर जिला भीलवाडा ।
- 13 शंभु सिंह पिता श्री नन्दा सिंह निवासी चान्दातों का बाड़िया तीतरी ।
- 14 उदय सिंह _____
- 15 महेन्द्र सिंह _____
- 16 आसु सिंह पिता श्री केसर सिंह निवासी चान्दातों का बाड़िया तीतरी ।
- 17 दल्ला सिंह _____
- 18 गणेश सिंह पिता श्री केसर सिंह निवासी रवादा नाईकलां तहसील ब्यावर जिला अजमेर ।
- 19 बगत सिंह पिता श्री लाल सिंह निवासी चान्दातों का बाड़िया तीतरी ।
- 20 शक्ति सिंह _____

-प्रतिवादीगण


वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर०टी०एक्ट०

मौजा तीतरी पटवार हल्का समेलिया तहसील भीम जिला राजसमन्द में निम्न वर्णित चाह नं० 1838 रकबा 3 विश्वा 10 विश्वांसी स्थित है। उक्त चाह के गत आराजी नं० 1375 थे। चाह नं० 1838 में वादी के पूर्वज मोटा पिता श्री भोजा सिंह का एक हिस्सा 1350 फसली में दर्ज था तथा वादीगण का 30 दिन के ओसरे में से 3/2 दिन हिस्सा आता था व उसी अनुरूप वादी के पूर्वज उक्त चाह का उपयोग उपभोग मिलकर करते चले आ रहे थे व उनकी मृत्यु के पश्चात् उनके वारिसान वादीगण उक्त चाह का उपयोग उपभोग अपने हिस्से अनुसार करते कराते चले आ रहे थे।

सेटलमेन्ट वालों की गलती से पूर्व के खातेदारान में मेरे पूर्वज का नाम हटा दिया जबकि उनको इस प्रकार से वादीगण के पूर्वजों के खाते से नाम हट जाने से वादीगण उक्त कुअें में नहीं आ सका जबकि वादीगण का 5 हिस्से में से 1 हिस्सा उक्त चाह का है उसी अनुरूप व उक्त चाह का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे थे। अब सेललमेन्ट वालों ने गलती से इन्द्राज करते समय लिखने से रह गया है या उन्होंने नाम हटा दिया है जिनका भी उनको कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। वादी सं० 1 पन्ना सिंह की पूर्व में मृत्यु हो जाने से इनका नाम वाद से हटाया जा चुका है। चूंकि इसके कोई वारीसान नहीं है।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भीम
जिला - राजसमन्द

अतः वादी का वाद न्यायालय में लम्बित होकर राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2016 कैम्प समेलिया मे पेश हुआ। वादी उपस्थित प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित। उनके प्रति एक तरफा कार्यवाही की गई। वादी का वाद स्वीकार किया जाकर उपरोक्त वर्णित आराजियात में कुएं में से 30 दिन के ओसरे में से 3/2 दिन का ओसरा रिकार्ड में दर्ज करने आदेश दिये जाते है। तदनुसार डिक्री जारी हो।


सहायक कलेक्टर
उपीठासीन अधिकारी
जिला - राजसमन्द

डिगरी

अज अदालत सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी, भीम

ब इजलास श्री मूलसिंह राजावत आर.ए.एस. सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भीम

- 1 पन्ना सिंह पुत्र श्री डाउ सिंह रावत उम्र 67 वर्ष निवासी चान्दातो का बाड़िया तीतरी तहसील भीम, जिला राजसमन्द ।
- 2 कान सिंह पुत्र श्री डाउ सिंह रावत उम्र 52 वर्ष निवासी चान्दातो का बाड़िया तीतरी तहसील भीम, जिला राजसमन्द ।
- 3 भंवर सिंह पुत्र श्री डाउ सिंह रावत उम्र 48 वर्ष निवासी चान्दातो का बाड़िया तीतरी तहसील भीम, जिला राजसमन्द ।
- 4 विरम सिंह पुत्र श्री लाल सिंह रावत उम्र 50 वर्ष निवासी चान्दातो का बाड़िया तीतरी तहसील भीम, जिला राजसमन्द ।

बनाम

- 1 कन्ना सिंह पिता श्री दर्ग सिंह निवासी चान्दातो का बाड़िया तीतरी तहसील भीम ।
- 2 नेत सिंह पिता श्री दर्ग सिंह निवासी चान्दातो का बाड़िया तीतरी तहसील भीम ।
- 3 खंगार सिंह पिता श्री दर्ग सिंह निवासी चान्दातो का बाड़िया तीतरी तहसील भीम ।
- 4 डाउ सिंह पिता श्री दर्ग सिंह निवासी चान्दातो का बाड़िया तीतरी तहसील भीम ।
- 5 बाबू सिंह पिता श्री नारायण सिंह बालिग निवासी चान्दातों का बाड़िया तीतरी तहसील भीम ।
- 6 नाथू सिंह पिता श्री नारायण सिंह नाबालिग निवासी चान्दातों का बाड़िया तीतरी ।
- 7 दिनेश सिंह पिता श्री नारायण सिंह नाबालिग निवासी चान्दातों का बाड़िया तीतरी ।
- 8 विक्रम सिंह पिता श्री नारायण सिंह नाबालिग निवासी चान्दातों का बाड़िया तीतरी ।
- 9 छगन सिंह पिता श्री नारायण सिंह नाबालिग निवासी चान्दातों का बाड़िया तीतरी ।
नाबालिग क्रम सं० 6,7,8,9 जरिये सरपरस्त भाई श्री बाबू सिंह पिता श्री नारायण सिंह रावत निवासी तीतरी तहसील भीम ।
- 10 अजी देवी पत्नि श्री अमर सिंह निवासी कर्मा का बाड़िया ओजाणा तहसील बदनोर जिला भीलवाडा ।
- 11 सोहनी देवी पत्नि श्री हजारी सिंह निवासी भीमर तहसील बदनोर जिला भीलवाडा ।
- 12 देवी पत्नि श्री बालू सिंह निवासी भीमर तहसील बदनोर जिला भीलवाडा ।
- 13 शंभु सिंह पिता श्री नन्दा सिंह निवासी चान्दातों का बाड़िया तीतरी ।
- 14 उदय सिंह पिता श्री नन्दा सिंह निवासी चान्दातों का बाड़िया तीतरी ।
- 15 महेन्द्र सिंह पिता श्री नन्दा सिंह निवासी चान्दातों का बाड़िया तीतरी ।
- 16 आसु सिंह पिता श्री केसर सिंह निवासी चान्दातों का बाड़िया तीतरी ।
- 17 दल्ला सिंह पिता श्री नन्दा सिंह निवासी चान्दातों का बाड़िया तीतरी ।
- 18 गणेश सिंह पिता श्री केसर सिंह निवासी रवादा नाईकलां तहसील ब्यावर जिला अजमेर ।
- 19 बगत सिंह पिता श्री लाल सिंह निवासी चान्दातों का बाड़िया तीतरी ।
- 20 शक्ति सिंह पिता श्री लाल सिंह निवासी चान्दातों का बाड़िया तीतरी ।

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आरटीएक्ट
मुकदमा नं 170/2008 रे.वा.

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आरटीएक्ट

मौजा तीतरी पटवार हल्का समेलिया तहसील भीम जिला राजसमन्द में निम्न वर्णित चाह नं० 1838 रकबा 3 विश्वा 10 विश्वांसी स्थित है। उक्त चाह के गत आराजी नं० 1375 थे।

चाह नं० 1838 में वादी के पूर्वज मोटा पिता श्री भोज सिंह का एक हिस्सा 1350 फसली में दर्ज था तथा वादीगण का 30 दिन के ओसरे में से 3/2 दिन हिस्सा आता था व उसी अनुरूप वादी के पूर्वज उक्त चाह का उपयोग उपभोग मिलकर करते चले आ रहे थे व उनकी मृत्यु के पश्चात् उनके वारिसान वादीगण उक्त चाह का उपयोग उपभोग अपने हिस्से अनुसार करते कराते चले आ रहे थे।

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरू मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है। वादी उपस्थित प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित। उनके प्रति एक तरफा कार्यवाही की गई। वादी उपस्थित प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित। उनके प्रति एक तरफा कार्यवाही की गई। वादी का वाद स्वीकार किया जाकर उपरोक्त वर्णित आराजियात में कुएं में से 30 दिन के ओसरे में से 3/2 दिन का ओसरा रिकार्ड में दर्ज करने आदेश दिये जाते है। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 01.06.2016 को जारी की गई।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भीम
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
भीम जिला राजसमन्द